

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.- 06 of 2018

Dist.: Patna

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

Sangita Kumari - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors. - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner : Sri Rajeev Shekhar, Advocate.

For the OP :

ORDER

23.08.2018

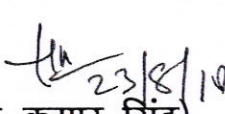
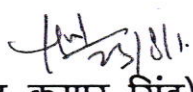
प्रस्तुत सेवा अपील वाद श्रीमती संगीता कुमारी, सहायक, अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेश ज्ञापक- 16/आ0-01-16/2016 सा0प्र0-2517 दिनांक- 22.02.2018 के द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है।

श्रीमती संगीता कुमारी, सहायक, अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति आयोग के पत्रांक- 09 दिनांक- 26.05.2016 एवं पत्रांक- 15 दिनांक- 15.06.2016 द्वारा कर्तव्य निर्वहन में जानबूझकर शिथिलता, लंबी अवधि तक संचिका लंबित रखना, घोर लापरवाही बरतना, आदतन कार्यालय से अनुपस्थित रहना एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त प्रतिवेदित आरोप एवं साक्ष्य अभिलेख विभागीय ज्ञापन सं०- 6238 दिनांक- 25.05.2017 द्वारा

Handwritten signature

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर व. कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित 3
	आरोपी श्रीमती कुमारी को उपलब्ध कराया गया एवं उनसे इस संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई। उक्त अनुरोध के आलोक में श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक- 08.06.2017 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उनके बचाव अभिकथन पर सम्यक रूप से विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय आदेश सं०- 8354 दिनांक- 10.07.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। संचालन पदाधिकारी के ज्ञापांक- 158/गो०को० दिनांक- 15.11.2017 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार सहमत होते हुए नियम 18(3) के तहत जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति श्रीमती कुमारी को उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक- 15502 दिनांक- 06.12.2017 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया। श्रीमती संगीता कुमारी, सहायक द्वारा दिनांक- 26.12.2017 को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए अपने विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों से इन्कार किया गया है तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाए गए आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती संगीता कुमारी, सहायक, अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, आरोप के संदर्भ में उनके बचाव का लिखित अभिकथन, संचालन पदाधिकारी	

श की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	के जॉच प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन पर समर्पित अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती संगीता कुमारी, सहायक, अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना काँ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(v) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि श्रीमती संगीता कुमारी पर अधिरोपित शास्ति अनुपातिक एवं उपयुक्त है। अतः श्रीमती संगीता कुमारी की याचिका खारिज करने पर विचार किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि उनके उपर लगाये गये आरोप सही नहीं है एवं उन्हें आरोप से मुक्त किया जाय। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज किया जा सकता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	